सामाजिक विज्ञान

(नागरिक शास्त्र)

अध्याय-1: भारतीय संविधान

SHIVOM CLASSES 8696608541

संविधान

एक लिखित पुस्तक है जिसमें किसी देश के शासन और प्रशासन को चलाने के लिए मूलभूत नियम होते हैं।

1922 में गाँधी जी ने सविधान सभा और सविधान निर्माण की मांग की

1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की माँग की।

1946 में संविधान सभा का गठन किया गया।

1947 से 1949 के बीच संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान का एक प्रारूप तैयार किया।

26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ।

SHIVOM CLASSES 8696608541

SHIVOM CLASSES - WhatsApp for Notes (8696608541)

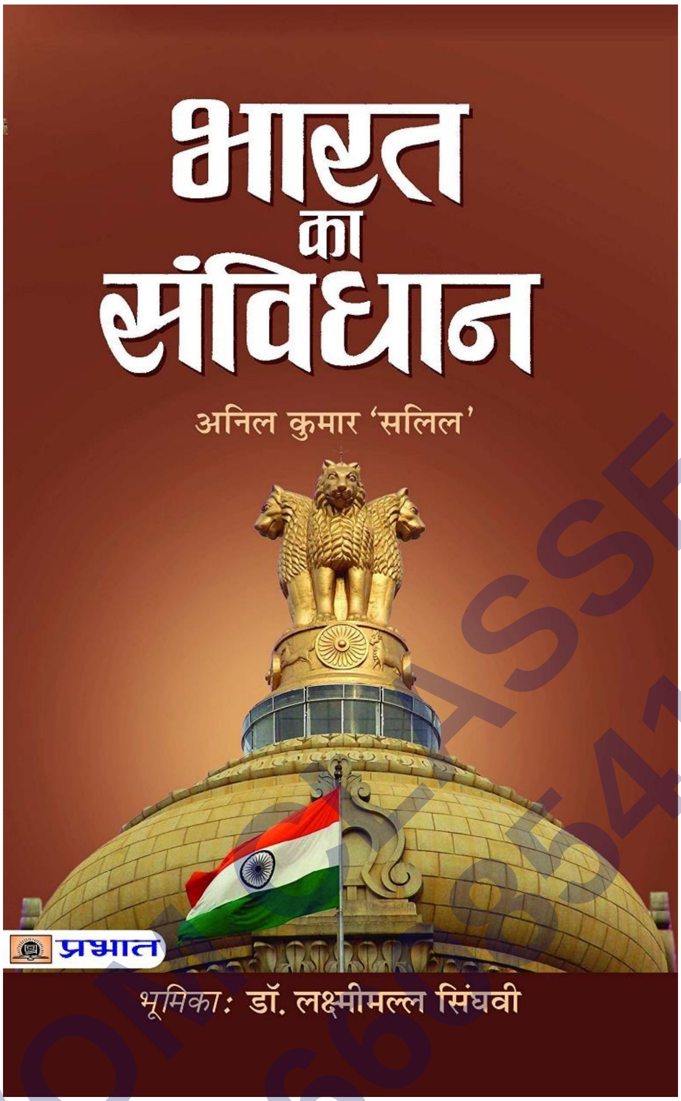

SHIVOM CLASSES 8696608541

संविधान की जरूरत :- आज दुनिया के ज्यादातर देशों के पास अपना संविधान है।

पहला :- संविधान ही बताता है कि हमारे समाज का मूलभूत स्वरूप क्या हो।

दूसरा :- संविधान ही ऐसे नियम तय करता है जिनके द्वारा राजनेताओं के हाथों सत्ता के दुरुपयोग को रोका जा सकता है।

तीसरा :- भारतीय संविधान देश के सभी व्यक्तियों को समानता का अधिकार देता है।

(धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर देश के किसी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता।)

अंतर-सामुदायिक वर्चस्व :- एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय को दबाना।

अंत:सामुदायिक वर्चस्व :- एक ही समुदाय के भीतर कुछ लोग दूसरे को दबा देते है।

SHIVOM CLASSES - WhatsApp for Notes (8696608541)

भारतीय संविधान मुख्य लक्षण

भारत को एक लोकतांत्रिक देश होना चाहिए। सभी नागरिक को समान अधिकार प्राप्त हो।

राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए विविधता के प्रति सम्मान दिखाई देता है।

1) **संघवाद :-** देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकारों का होना। केंद्र सरकार और राज्य सरकार।

मतभेद को दूर करने के लिए संविधान में विभिन्न विषयों को तीन सूचियों में बाँट दिया गया

संघ सूची 97 :- केंद्र सरकार पूरे देश के लिए नीति, नियम, कानून, योजना बनायेगी। रक्षा,मुद्रा, बैंकिंग, विदेशी मामले आदि।

राज्य सूची 66 :- राज्य सरकार :- ज्यादा स्वायत्तता और आजादी मिलनी चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य,वाणिज्य, पुलिस आदि।

समवर्ती सूची 47 :- केंद्र और राज्य सरकारे, दोनों संयुक्त रूप से फैसला ले सकते थे। वन, कृषि, शिक्षा, गोद लेना आदि।

2) **संसदीय शासन पद्धति :-** सरकार के सभी स्तरों पर प्रतिनिधियों का चुनाव लोग खुद करते हैं।

भारत का संविधान अपने सभी वयस्क नागरिकों को वोट डालने का अधिकार देता है।

सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार :- 21 साल से ज्यादा उम्र के सभी भारतीयों को प्रांतीय और राष्ट्रीय चुनावों में वोट देने का अधिकार था।

जनता अपने प्रतिनिधियों के चुनाव में देश के सभी लोगों की सीधी भूमिका होती है।

ये प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होते है। हर व्यक्ति खुद चुनाव भी लड़ सकता है।

3) **शक्तियों का बँटवारा :-** संविधान के अनुसार सरकार के तीन अंग हैं – विधायिका, कार्यपालिका, और न्यायपालिका ।

विधायिका :- में हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं।

कार्यपालिका :- जो कानूनों को लागू करने और शासन चलाने का काम देखते हैं।

SHIVOM CLASSES 8696608541

SHIVOM CLASSES - WhatsApp for Notes (8696608541)

न्यापालिका :- न्यायालयों की व्यवस्था को न्यायपालिका कहा जाता है।

मौलिक अधिकार

मौलिक अधिकारों वाला खंड भारतीय संविधान की ' अंतरात्मा ' भी कहलाता है।

1. **समानता का अधिकार :-** कानून की नजर में सभी लोग समान हैं। धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नही किया जा सकता।
2. **स्वतंत्रता का अधिकार :-** इस अधिकार के अंतर्गत अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता, सभा संगठन बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भाग में आने-जाने और रहने तथा कोई भी व्यवसाय, पेशा या कारोबार करने का अधिकार शामिल है।
3. **शोषण के विरुद्ध अधिकार :-** मानव व्यापार, जबरिया श्रम और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है।
4. **धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार :-** प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा को मजदूरी पर रखना अपराध है।
5. **संस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार :-** संविधान में कहा गया है कि धार्मिक या भाषाई, सभी अल्पसंख्यक समुद...
6. **धर्मनिरपेक्ष :-** सभी को अपने धार्मिक विश्वासों एवं मान्यताओं को पूरी आज़ादी से मानने की छूट देता है।

SHIVOM CLASSES 8696608541

SHIVOM CLASSES - WhatsApp for Notes (8696608541)

राज्य अधिकृत रूप से किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा नही देता।

संविधान सभा प्रारूप समिति के अध्यक्ष – डॉ. भीम राव अम्बेडकर

संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष – डॉ. राजेन्द्र प्रसाद

संविधान सभा के अस्थयी अध्यक्ष – सचिदानंद सिन्हा

संविधान सभा के उपाध्यक्ष – हरेन्द्र कुमार मुखर्जी वी टी कृष्णमचारी

मूल अधिकार व प्रांत समिति के अध्यक्ष – सरदार वल्लभ भाई पटेल

संघ समिति के अध्यक्ष – जवाहर लाल नेहरू

संवैधानिक सलाहकार – बी एन राव

SHIVOM CLASSES 8696608541

SHIVOM CLASSES - WhatsApp for Notes (8696608541)

NCERT SOLUTIONS

प्रश्न (पृष्ठ संख्या 16)

प्रश्न 1 किसी लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है ?

उत्तर – किसी भी लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत कई कारणों से होती है। जैसे :- किसी भी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के लिए संविधान का होना अनिवार्य है। संविधान सरकार की शक्ति तथा सत्ता का स्त्रोत है। संविधान सरकार के ढांचे तथा सरकार के विभिन्न अंगों की शक्तियों की व्यवस्था करता है। संविधान सरकार के विभिन्न अंगों के पारस्परिक संबंध निर्धारित करता है। संविधान सरकार और नागरिकों के संबंधों को निर्धारित करता है। संविधान सरकार की शक्तियों पर सीमाएं लगाता है। संविधान सर्वोच्च कानून है जिसके द्वारा समाज के विभिन्न लोगों में समन्वय किया जाता है।

प्रश्न 2 नीचे दिए गए दो दस्तावेजों के हिस्सों को देखिए। पहला कॉलम 1990 का नेपाल के संविधान का है। दूसरा नेपाल के ताजा अंतरिम संविधान में से लिया गया है।

1990 का नेपाल का संविधान भाग-7: कार्यपालिका	2015 का नेपाल का संविधान भाग-7: संघीय कार्यपालिका
अनुच्छेद 35: कार्यकारी शक्तियाँ नेपाल अधिराज्य की कार्यकारी शक्तियाँ महामहिम नरेश एवं मंत्रिपरिषद् में निहित होंगी।	*अनुच्छेद 75: कार्यकारी शक्तियाँ* नेपाल की कार्यकारी शक्तियाँ, संविधान और कानून के अनुसार, मंत्रिपरिषद् में निहित होंगी।

नेपाल के इन दोनों संविधानों में 'कार्यकारी शक्ति' के उपयोग में क्या फ़र्क दिखाई देता है? इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या आपको लगता है कि नेपाल को एक नए संविधान की जरूरत है? क्यों?

उत्तर –

1990 के संविधान के अनुच्छेद 35 के अनुसार नेपाल में, सभी कार्यकारी शक्तियां पूर्ण रुप से नेपाल के राजा में निहित थीं अर्थात् शासन की सर्वोच्च सत्ता राजा के पास रहेगी। राजा राज्य का अध्यक्ष होने के साथ – साथ सरकार का भी अध्यक्ष था। वह सभी कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करता था और उसकी शक्तियां असीमित थी। परंतु 2007 के अंतरिम संविधान के अनुसार कार्यकारी

SHIVOM CLASSES - WhatsApp for Notes (8696608541)

शक्तियाँ मंत्रिपरिषद में निहित है। कार्यकारी शक्तियां और कार्य नेपाल के प्रधानमंत्री के नाम से संचालित की जाती है। प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग संविधान के प्रावधानों के अनुसार करता है। वास्तव में परिवर्तित परिस्थितियों में एक नए संविधान की बहुत अधिक आवश्यकता है। पुराना संविधान देश के आदर्शों को प्रतिबिम्ब नहीं करता। इसलिए नेपाल में प्रजातंत्र की स्थापना के लिए नए संविधान की आवश्यकता है।

प्रश्न 3 अगर निर्वाचित प्रतिनिधियों की शक्ति पर कोई अंकुश न होता तो क्या होता ?

उत्तर – प्रजातांत्रिक देश में सरकार निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा चलती है। भारत में वैधानिक एवं कार्यकारी शक्तियाँ लोगों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों में निहित हैं। यह बहुत आवश्यक है कि निर्वाचित प्रतिनिधि लोगों की सेवाओं के लिए शक्तियों का प्रयोग करें। उन्हें अपनी शक्तियों का प्रयोग संविधान के प्रावधानों के अनुसार करना चाहिए। निर्वाचित प्रतिनिधियों पर कुछ संवैधानिक एवं कानूनी प्रतिबंध होने चाहिए। यदि उन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा, तब वे शक्तियों का अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए दुरुपयोग करेंगे तथा लोगों की सेवा नहीं करेंगे। संविधान कई प्रकार से निर्वाचित प्रतिनिधियों की शक्तियों को नियंत्रित करता है। सामान्य तौर पर नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान निर्वाचित प्रतिनिधियों की शक्तियों को सीमित कर दिया जाता है।

प्रश्न 4 निम्नलिखित स्थितियों में अल्पसंख्यक कौन हैं ? इन स्थितियों में अल्पसंख्यकों के विचारों का सम्मान करना महत्त्वपूर्ण है। इसका एक-एक कारण बताइए।

1. एक स्कूल में 30 शिक्षक हैं और उनमें से 20 पुरुष हैं।
2. एक शहर में 5 प्रतिशत लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं।
3. एक कारखाने के भोजनालय में 80 प्रतिशत कर्मचारी शाकाहारी हैं।
4. 50 विद्यार्थियों की कक्षा में 40 विद्यार्थी संपन्न परिवारों से हैं।

उत्तर –

1. किसी विद्यालय में 30 अध्यापक है जिसमें से 10 महिलाएं है और 20 पुरुष है। इसमें महिला अध्यापक अल्पसंख्यक है। पुरुषों को महिलाओं का सम्मान करना चाहिए और कही किसी बात पर फैसला लेना हो तो उनकी बातों को दबाना नहीं चाहिए।

SHIVOM CLASSES 8696608541

SHIVOM CLASSES - WhatsApp for Notes (8696608541)

2. किसी शहर में बुद्ध धर्म को मानने वाले अल्पसंख्यक है। इसलिए बहुसंख्यक को बुद्ध धर्म मानने वालों के विचारों एवं धर्म का सम्मान करना चाहिए।
3. एक कारखाने के भोजनालय में मांसाहारी अल्पसंख्यक है इसलिए शाकाहारियों को जो बहुसंख्यक है मांसाहारियों के विचारों का आदर करना चाहिए।
4. एक कक्षा में 50 विद्यार्थी है जिनमें से 10 छात्र समृद्ध परिवारों से नहीं है वे अल्पसंख्यक है। इसलिए बहुमत जो कि संपन्न परिवारों से हैं उन्हें अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के विचारों का आदर करना चाहिए।

प्रश्न 5 नीचे दिए गए बाएँ कॉलम में भारतीय संविधान के मुख्य आयामों की सूची दी गई है। दूसरे कॉलम में प्रत्येक आयाम के सामने दो वाक्यों में लिखिए कि आपकी राय में यह आयाम क्यों महत्त्वपूर्ण है:-

मुख्य आयाम	महत्व
संघवाद	
शक्तियों का बंटवारा	
मौलिक अधिकार	
संसदीय शासन पद्धति	

उत्तर –

SHIVOM CLASSES 8696608541

SHIVOM CLASSES - WhatsApp for Notes (8696608541)

मुख्य आयाम	महत्व
संघवाद	संघवाद आवश्यक है क्योंकि यह राष्ट्रवाद की भावना और क्षेत्रीय विचारों को समाहित करता है।
शक्तियों का बंटवारा	सरकार के तीन अंग है :- विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। सरकार के किसी अंग द्वारा शक्तियों के दुरूपयोग को रोकने के लिए संविधान कहता है कि सरकार के तीनों अंग अलग अलग तरह से शक्तियों का प्रयोग करेंगे।
मौलिक अधिकार	मौलिक अधिकार प्रत्येक व्यक्ति के विकास को प्रोत्साहित करता है।
संसदीय शासन पद्धति	संसदीय सरकार अधिक लोकतांत्रिक होती है क्योंकि इस प्रकार की सरकार में लोगों का भी भाग होता है।

प्रश्न 6 उन भारतीय राज्यों के नाम लिखिए जिनकी सीमाएं निम्नलिखित पड़ोसी देश से लगती है।

(क) बांग्लादेश

(ख) भूटान

(ग) नेपाल

SHIVOM CLASSES 8696608541

SHIVOM CLASSES - WhatsApp for Notes (8696608541)

उत्तर –

(क) बांग्लादेश :- असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, पश्चिम बंगाल

(ख) भूटान :- अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल

(ग) नेपाल :- उत्तराखंड, उतर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम

SHIVOM CLASSES - WhatsApp for Notes (8696608541)